प्रकरण कमांक – / निगरानी

प्रेमाबाई उर्फ प्रेम कुंवर पति कालुसिंह राजपुत

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

———आवेदक

अभिभाषक श्री कैलाश जोशी
प्रस्तुत 14-7-2014
14-7-14
प्रबंधक
अभिलेख कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

अंतरसिंह पिता रामसिंह जाति ब्राहम्ण

निवासी ग्राम सोहड़ तह. बड़नगर जिला उज्जैन

———अनावेदक

R. 15-7-14

143 अ

[redacted](a)BR(H)-11 (12)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 2343–एक/14 जिला – उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–14	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया यह प्रकरण सीमांकन के विरूद्ध है । निगरानी मेमो के साथ आवेदक की ओर से आलोच्य आदेश की प्रति के साथ सीमांकन पंचनामा, सूचनापत्र आदि की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई हैं । सूचनापत्र पर सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं । सीमांकन के समय जो पंचनामा तैयार किया गया है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आवेदक व पड़ोसी कृषक के निशानात कायम कर पत्थर गढ़वाए गए और पडोसी कृषकों को समझाइश दी गई कि वे 1 वर्ष के अंदर अपनी भूमि का सीमांकन आदेश करवालें अनावेदक को भी यह समझाइश दी गई है कि वे कब्जा संबंधी कार्यवाही पड़ोसी कृषक के सीमांकन पश्चात करें । प्रकरण में जो सूचनापत्र संलग्न है उस पर सभी सरहदी काश्तकारों के हस्ताक्षर हैं ऐसी स्थिति में आवेदिका के अधिवक्ता का यह तर्क कि उसे सीमांकन के समय कोई सूचना नहीं दी गई मान्य किए जाने योग्य नहीं है । आवेदक अपनी भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है । परिणामतः यह निगरानी ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों एवं आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	